RAJYA SABHA

Friday, the 11th September, 1981/ 20th Bhadra, 1903 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री शिव चन्द्र झा : मुझे एक सबमिशन करना है ।

MR. CHAIRMAN: Question No. 381.

श्री शिव चन्द्र झा : मैंने लिखित नोटिस दिया है ... (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त वर्मा : मुझे एक छोटा सा निवेदन करना है और आपसे संबंधित है । आप 12 बजे चले जाते हैं इसलिए श्रीमन्, आप बात सुन लें ... (**व्यवधान**)

श्री शिव चन्द्र झा: श्रीमान्, सदन का समय बरबाद हो रहा था. . (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त वर्मा : मेरी बात आप सुन लीजिए । मैं आपकी कार्यवाही में कोई बाधा नहीं डाल रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए । क्योंकि इसका संबंध आपसे हैं और आप 12 बजे चले जाते हैं । इस सदन की परम्परा बिल्कुल विकृत होती जा रही है । कल शाम को आप यहां नहीं थे और श्री नागेश्वर प्रसाद शाही जी ने प्रधान मंत्री ... (**व्यवधान**) सुनिये ...

श्री सभापति : आप यह क्वेश्चन चैम्बर में बतायें ... (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त वर्मा : चैम्बर में मुझे आप कहते हैं । उनको आप चैम्बर में क्यों नहीं कहते... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : वे आते है मेरे पास ... (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त वर्मा : आप मेरी बात सुन लीजिए ।

MR. CHAIRMAN: Do not record.

श्री श्रीकान्त वर्मा :***

श्री शिव चन्द्र झा : आपने समय निर्धारित किया था लेकिन इन लोगों ने चलने नहीं दिया ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आप बैठ जाइये ।

श्री शिव चन्द्र झा : आप इन लोगों से पूछिए कि क्यों इन लोगों ने सदन नहीं चलने दिया । ये सदन को चलाना नहीं चाहते हैं... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : जब मैं खड़ा होऊं आप बैठ जाइये । कुछ नहीं रिकार्ड होगा जब तक मै खड़ा हूं ।

It will not be recorded at all. This sort of thing must stop. There is an orderly way in which we can do things and not a poetical way. Question No. 381.

Recovery of Idols and Antiques

*381. SHRI RAMCHANDRA BHARDWAJ:†
SHRI DINESH GOSWAMI:

Will the the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of stolen priceless idols and antiques have been recovered in Delhi recently;

(b) if so, what are the details of the recovery made;

(c) what are the names of persons arrested in this connection; and

(d) what action has been taken against the persons involved in the theft?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) 21 ob-

***Not recorded.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramchandra Bhardwaj.

jects were seized by the Crime Branch of the Delhi Police.

(b) Out of 21 objects, one terra-cotta female figure of about the seventh century A.D. and 7 stone sculptures ranging in date from the tenth to the sixteenth century A. D. are found to be antiquities. Two sculptures, one of Shiva and other of Vishnu are alone intact, the remaining five being small fragments. 13 objects are non-antiquities.

(c) The Crime Branch of the Delhi Police had arrested the following four persons:

(i) Shri Hari S/o Shri Panna Lal,

(ii) Shri Baldev S/o Shri Radha Kishan,

(iii) Shri Sat Narain S/o Shri Sugan Singh,

(iv) Shri Kanshi Nath S/o Shri Ram Kishan.

(d) Out of the four persons, Shri Hari, Shri Baldev and Shri Sat Narain are in Judicial Custody, while Shri Kanshi Nath has been granted bail. The Crime Branch of the Delhi Police with the assistance of CBI (Antique Cell) is investigating the case.

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि अति दुर्लभ एवं प्राचीन कलाकृतियों की चोरी कितने स्तर पर हो रही है ? भारतीय पुरातत्व सवक्षण विभाग में कतिपय अधिकारियों की कृपा से सामान्य कलाकृति को दुर्लभ मान लिया जाता है और दुर्लभ कलाकृतियां जो हैं उनको सामान्य । इस प्रकार से हमारी दुर्लभ कलाकृतियां जो हैं वे बाजार में रह जाती हैं और हमारी सामान्य कलाकृतियां संग्रहालयों के द्वारा ले ली जाती हैं ।

श्री सभापति : सवाल पूछिए कुछ, सवाल तो आपका आया ही नहीं है ।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : यही तो मैं कहना चाहता था । क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके लिए कोई योजना बना रही है कि इस तरह की गड़बड़ न होने पाये ।

श्री सभापति : अब सवाल हुआ ।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूं कि हमारी तरफ से, आर्कलाजिकल सर्वे आफ इंडिया की तरफ से काफी इंतजाम हैं इन चीजों का कि इस तरीके की बात न हो... हमारे पास एक जो डाइरेक्टर जनरल है, उनके पास देखने के लिए और बताने के लिए अथारिटी है कि कौन से ऐसे चित्र या कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी कीमत ज्यादा है, या हमारी सभ्यता से ताल्लुक रखती हैं । उसकी जानकारी लेकर वे बताते हैं कि यह पक्के तरीके से बहुत प्राइसलैस चीजे हैं और उन्हीं के पास उनकी मदद करने के लिए भी और लोग होते हैं जो कि इसका ध्यान रखते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Do you want to ask any other question? Then, please hurry up.

SHRI RAMANAND YADAV: Sir, this side also.

श्री सभापति : यादव जी, आपका तो मैं याद रखता हूं कि आपका तो हाथ ऊंचा होगा ही ।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : यह आर्ट एण्ड एंटीक्स एक्ट जो 1973 का है, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो काफी प्रभावी नहीं हैं । क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा कम्प्रीहैंसिव बिल लायेंगी जिससे भविष्य में इस तरह की चोरियों को रोकने में कोई प्रभावी कदम सरकार उठाने में सक्षम हो ?

श्रीमती शीला कौल : यह जो हमार एंटिक्विटीज और आर्ट ट्रेजर एक्ट, 1972

में तैयार होकर और 1976 में जाकर लागू हुआ है । इसमें कई ऐसी बातें हैं जोकि मैं आपको बताना चाहती हूं । इसके क्या आर्टिकल्स वगैरह हैं, इसका प्रिंसिपल एम है --- to regulate the export trade in antiquities and art treasures और प्रोवाइड करना कि स्मगलिंग को कैसे रोका जाए और फ्राडुलैंट डीलिंग्स एंटिक्विटीज में कैसे रोकी जाएं--- and to provide for the compulsory acquisition of antiquities and art treasures for preservation in public places and to provide for certain other matters connected therewith or incidental or ancillary thereto. तो यह इसकी कुछ चीजें हैं जिससे कि हम इन चीजों को रोकते हैं । इसके रूल्स रैग्युलेशंस हमारे पास सब हैं और अगर आप जानना चाहें कि एंटिक्विटीज हम किसको कहते हैं, तो उसकी लिस्ट भी मैं पढ़ दूं ।

श्री सभापति : अब हरेक को पढ़ना चाहिए । अब यहां पर सबक थोड़े दिया जाता है ।

श्रीमती शीला कौल : तो इसलिए कायंस हैं और हमारी आर्टस की चीजें हैं, पेंटिंग्ज हैं और जो आर्टिकल ऐसे हों जोकि बिल्डिंग्ज में, कैस में हों, वे सब एंटिक्विटीज, कहलाते हैं और इसके लिए हमारे पास ऐसा है कि जोकि सौ साल का कोई ऐसी एंटिक्विटी हो, जोकि पत्थर में हो, सकल्पचर्ज वगैरह में, पेंटिंग्स वगैरह में, उसको हम एंटिक्विटी कहते हैं और जो मैनुस्क्रिप्टस 75 साल से ज्यादा हैं, उनको हम एंटिक्विटी कहते हैं और इसकी हम देखभाल करते हैं । इस के लिए हरेक को, जिसके पास हो, रजिस्टर करवाने के लिए भी हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन आफिसेज सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं ।

श्री सभापति : अभी मिनिस्टर साहिबा, मुझे मिस मुंशी हैं बम्बई में, उन्होंने खत लिखा है कि मुझे देर हो गई । मैंने कहा कि छह साल के बाद आप मुझसे पूछ रही हैं । यह तो आपका डिपार्टमेंट ही एंटिक्विटी हो गया । उन्होंने लिखा कि 20,000 मेरे पास आइटम्स हैं और मैं अकेली दो क्लर्क से काम कर रही हूं । आप जरा जल्दी करिए ।

श्रीमती शीला कौल : मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह अगर ऐसा है, तो उनको रजिस्टर कराना चाहिए अकार्डिंग टु दी एक्ट ।

श्री सभापति : तो मैंने तो कराया ।

श्रीमती शीला कौल : बड़ी गलती वे कर रही हैं ।

श्री सभापति : नहीं, नहीं उन्होंने कहा कि 20,000 को खत्म करते-करते छह साल लग गये हैं उनको ।

श्रीमती शीला कौल : हां, हमारी सभ्यता की चीजे भी तो इतनी सारी हैं ।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Now, the hon. Chairman is also asking a question.

श्री सभापति : मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं । मैं सिर्फ आपके कान में बात डाल रहा हूं कि वर्कर्ज का नम्बर बढ़ाना चाहिए ।

श्रीमती शीला कौल : अभी पूरा नहीं किया है मैंने---मैं यह चाहती थी कि जो इन्होंने सजैशन दिया है कि इस तरह का एक कम्प्रीहैंसिव बिल हो, बेहतर । हमारी तरफ से तो हमने मुनासिब बिल बनाया है । यदि आप अपनी तरफ से कोई सजैशन देना चाहें, तो इट इज मोस्ट वैलकम ।

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, it has been well-known that an European and an American gang is involved in this large scale export of priceless antiques. It is because the price that they get outside India is something phenomenal. In that context may I know from the Minister of Education whether any effort has been made to trace the gang? Secondly, the provisions of registration are undoubtedly there. But may I also know whether any effort is being made by the Ministry of Education to have an inventory of the priceless antiques by asking the district officers or other officers concerned so that some idea may be had about these priceless antiques because we come to know of them not at the time of theft but only at the point of recovery and not when the actual thefts take place?

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, for the information of the hon. Member I may say that there are about 2.75 lakh antiques that have been registered with us. The exhibits in the Museums are documented and they need not be registered. So, there is quite a lot of number...

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, my question was entirely different Firstly, my question was whether there is any effort made to trace the European or American gang which is involved in this because by now we have come to know that there is large-scale export through these gangs. My second question was whether, apart from registration, the Department has taken any action on its own to make an inventory of the priceless antiques through the district officers, and so on and so forth, so that we know about the number of these antiques. We know about them only at the point of recovery and not when the thefts take place. These are the two questions, which she has not answered.

SHRIMATI SHEILA KAUL: In the year 1977 India ratified the UNESCO Convention on the means of prohibiting illicit import, export and transfer of cultural properties. The Convention, *inter-alia*, provides that the contracting parties shall take steps for preventing illicit import into their territories of stolen cultural properties and in tracing and restoring such stolen properties into the countries concerned. This is what we are doing, as you have just asked. And, the rights of the contracting parties under this...

श्री सभापति : वह नहीं, सवाल दूसरा है । सवाल यह कि आप, ये जो फारेनर्स इस में बाहर ले जाते हैं, उस के लिए क्या कर रहे हैं ? इवेंट्री वगैरह बना कर रखी हैं या नहीं है ? Is that right, Mr. Goswami?

श्रीमती शीला कौल : मैंने अभी कहा, हमारे पास इवेन्टरी है ।

श्री सभापति : 2 लाख 70 हजार आपने कहा...

श्रीमती शीला कौल : 2 लाख 75 हजार हैं और जो मियूजियम्स हैं उन में डाक्यूमेंटेड हैं, उन की इन्वेन्टरी हम उस तरीके से रजिस्टर नहीं करते हैं लेकिन they are documented they are with और जो चोरी होती है, जो बाहर चले जाते हैं, उस के लिए इंटरपोल है और जो हमारा यूनेस्को कंवेंशन है, उस में जानकारी लेते है और उसमें ऐक्शन लेते हैं ।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I would like to point out that this question refers to one particular case.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, I raised my hand first. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Somebody will be overlooked.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I would like to ask the hon.

Minister whether they have considered the question of setting up a special wing in the Archaeological Department or in the CBI, a special cell, to be able to keep a track of this particular crime of thefts of our historical and other items which are going out of the country. It is a known fact that even diplomats have been found to be involved in some of these rackets. I won't mention anything further. But these are reports which have appeared in the press. I would, therefore, like to ask the hon. Minister what they are doing by way of setting up some agency to prevent this thing rather than finding out after they have gone and seeing how we will get them back. Preventive action is more important. Therefore, just registering them does not solve the problem unless you have a secialised agency which deals with the prevention of thefts of these items and being taken out of our museums and out of other places because from our national museums sometimes items are taken out with the collusion of staff and higher-ups in the Archaeological Department itself.

SHRIMATI SHEILA KAUL: I would like to remind the hon. Member that this Act has come only in 1976, and there is a Cell in the CID Department that looks after it and keeps an eye over it. And that is true that the articles that are stolen come to light only when they are stolen. But that is the only way when we come to know that they are stolen.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhandare.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I asked about the preventive aspect. What is the use of getting information when the murder is committed?

MR. CHAIRMAN: That is always the case.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: The Minister has already given you all the information.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Thank you; the Minister is capable of looking after herself.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Bhandare, you put your question. (*Interruption*).

मैं नहीं एलाऊ कर रहा हूं, यह आपस में लड़ रही है ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, I cannot put my question when two ladies are quarrelling.

MR. CHAIRMAN: Naturally; nobody can.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, the rich heritage of our country is really symbolised by the great art treasure we possess, and it is easier to smuggle them, because you smuggle a small piece and it fetches you a million dollars. I think two things are necessary to be done. One is that the smuggling of art pieces should be an offence which should be punishable by a deterrent sentence. It is not just any other type of smuggling, like smuggling of grams etc. But if one piece goes out, it never comes back. This is one aspect.

MR. CHAIRMAN: Deterrent not by increasing the sentence, I hope, but by saying that the minimum sentence shall be this.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Yes, the minimum sentence should be there. It should be deterrent in the sence that you cannot get away without the minimum which is prescribed.

SHRI PILOO MODY: Now you are arguing a legal point with the Lordship.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I am arguing on a matter of substance, and not a matter of any legal technicality.

MR. CHAIRMAN: He is also thinking substantially.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: He has always done both in form and in expression.

SHRI BUTA SINGH: Wholesome and substantial.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Then, Sir, the other thing is about the more important and valuable pieces of art...

MR. CHAIRMAN: Frame a question, already we have taken 20 minutes.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: When they go outside, they find a place in well-known national museums of other countries or well-known art gallaries. May I also ask apart from the first point, whether the Education Ministry would think of devising ways and means whereby our foreign offices keep an eye on the acquisition by various countries of the pieces of art from our country, trace them and try to retrive them if they are stolen?

SHRIMATI SHEILA KAUL: This is a good suggestion.

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, हमारे देश की पुरानी चीजें विदेशों में धड़ल्ले से सरकार की आंख के सामने स्मगलर, थीव्ज और पुरानी सांस्कृतिक चीजों को चुराने वाले लोग ले जा रहे हैं । अभी-अभी रेड फोर्ट में दीवाने-खास और दीवाने-आम में जो पुराना स्टोन लगा हुआ था उस को गार्ड के रहते हुए लोग निकाल कर ले गये । धरहरा एक स्टेट है, वहां से मुगल पीरियड की पुरानी मेनसक्रिप्ट इंगलैंड से एक आदमी आ कर चुरा ले गया। केसेज चले, सजा नही हुई । यह सब को मालूम है । सभापति जी, बिहार राज्य के डी० आई० जी० रैंक के एक अफसर रिटायर कर गये । उस ने बोध गया से भगवान बुद्ध के टाइम के बहुत से आइडल खुद चुरवा कर विदेशों में भेज दिये । उसी केस में उस का सस्पेंशन भी होने वाला था, लेकिन सरकार की कृपा से बच गया । सभापति जी, जरा मेरी बात सुनिये । (व्यवधान) जज साहब, बैठिये ।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिये ।

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, हमारे मंदिरों में जो भगवान प्रतिष्ठित हैं सोने और चादी के बने हुए हैं । वह अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं और चोर बाहर से आते हैं और उन को चुरा कर ले जाते हैं । सरकार भी उन की रक्षा नहीं कर पाती है । मुझे ऐसा लगता है कि इस चोरी के पीछे विदेशी तत्व, सरकारी मुलाजिम हैं और चोर हैं जो इस को करा देते हैं ...

श्री सभापति : यह बात सब को मालूम है ।

श्री रामानन्द यादव : वह उस चोरी में शामिल हैं ।

श्री सभापति : होंगे ।

श्री रामानन्द यादव : तो क्या सरकार दो काम करने पर विचार करेगी कि इस तरह की ऐंटीक्यूटिज और मैनुस्क्रिप्ट्स और पुरानी आइडोल्स जो भगवान की हैं, जो चोरी होती हैं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, उन को चोरी को रोकने के लिये 1976 में जो एक्ट बना था और उस में जो सजा का प्राविजन है उस में कुछ तरमीम की जाय...

श्री सभापति : उस के लिये तो उन्होंने कहा ।

श्री रामानन्द यादव : क्या सरकार उस में तरमीम करने के लिये विचार करेगी जिस में कि यह हो कि मिनिमम सजा इतनी होगी, दस वर्ष से कम की सजा किसी को नहीं होगी । क्या इस तरह की तरमीम उस ऐक्ट में सरकार लाना चाहती है ?

श्री सभापति : आप का जो सवाल था उसे अभी भंडारी जी ने किया है ।

श्री रामानन्द यादव : तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे तरमीम लायेंगे ? इस का आश्वासन वह हाउस को दें कि वे 1976 के ऐक्ट में तरमीम करेंगे और उसमें सजा का मिनियम सजा का प्राविजन करेंगे, और दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस म्यूजियम से या जिस जगह से ऐसी चोरियां होती हैं क्या वहां के अफसरों को उस के लिये रेस्पांसिबल ठहराया जाएगा और क्या उन को भी सजा देने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्रीमती शीला कौल : जवाब दूं क्या ? **(व्यवधान)**

श्री सभापति : जवाब क्या दिया जाय, मैं क्या कहूं ।

(Interruptions)

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: Sir, supplementaries are used for making speeches. *(Interruptions)*

श्री रामानन्द यादव : तुम चुप रहो । तुम्हारे चट्टे बट्टे इसमें हैं इसीलिये तुम उन को डिफेंड करने की बात करते हो । **(व्यवधान)** सर्विस से रिजाइन कर के इसी के लिये आये कि वहां फंसे हुए थे ।

श्री सभापति : मिस्टर निगम, आप अपना सवाल करिये ।

(Interruptions)

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: Sir, I suggest that there should be a training class.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I know it. You know it. Many of us know it. Some of us do not know it. *(Interruption)* I should stop them. I wait to see that the question will emerge. Sometimes, it never does, because, people want to hear their own voice. What can be done? They want their voice to be heard.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: You should hold a class for giving some training, as to how supplementaries should be put.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chief Justice, I am sorry, Mr. Mitra, there should be a provision for deterrent punishment here.

SHRI RAMANAND YADAV: There should be a training ground. *(Interruptions)*

श्री सभापति : निगम साहब, आप आखिरी सवाल कर दीजिए और किस्सा खत्म करिये ।

श्री लाडली मोहन निगम : सभापति महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर और इस से जुड़ी हुई चीज की तरफ शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और खुशकिस्मती है कि विदेश मंत्री जी भी यहां बैठे हैं आप के साथ । **(व्यवधान)** आप से भी संबंधित हैं इसी लिये मैं कह रहा हूं । I am not making a speech. I have never made a speech.

क्या आपको मालूम है कि खाली मूर्तियां ही चोरी नहीं हुई हैं, बल्कि हिन्दुस्तान में जो पवित्र अवशेष हैं, हड्डियां वगैरह वे भी चोरी हो रही हैं । सन 1851 में जब पहली मर्तबा पता चला अस्थियों का तो सांची में जो स्तूप है वहां वह अस्थियां रखी गई थीं । आप चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूं पुजारी जो लंका के थे प्रज्ञातिस्सथोरो । वहां से अस्थियां निकाल कर बाहर भेजी गई । क्या आप इस बात की जांच करायेंगे कि सांची में जो अस्थियां हैं वह नकली हो गई हैं । इसी तरीके से नागाजुन कोंडा में जो अस्थियां हैं उनके बारे में भी कहा जाता है । आप अगर चाहें तो मैं बता सकता हूं, मध्य प्रदेश के अखबारों में यह छपा, दूसरे अखबारों

में छपा, वह मैं आपको दे सकता हूं । मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक आपने इनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिसे देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, अगर वह भी हमारे यहां से चली जाती हैं तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं ? क्या आस्थियों और ऐसी कीमती चीजों के बारे में, जैसा आपने कहा कि आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंट के अन्दर आती हैं कि नहीं, क्योंकि सांची का स्तूप पुरातत्व विभाग के अन्दर है, तो जब अस्थियां भी चोरी हो जायेंगी तो क्या होगा ? आपका जो कानून 1976 का बना हुआ है, इसमें इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री सभापति : यह लीगल प्वायंट है, उसमें इसका प्राविजन नहीं है ।

श्री लाडली मोहन निगम : तो आस्थिया जो चोरी हुई हैं, क्या उसका पता लगायेंगी और दूसरी चीज यह है कि ऐसा न हो, इसके लिए इस कानून में संशोधन करेंगी कि नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : मैंने पहले जिक्र किया है कि अगर हमारे कानून में कुछ कमी है तो मुझे आपसे दरख्वास्त है कि आप इस कानून की कमी को दूर करने के लिए सजेशन दीजिए ।

श्री लाडली मोहन निगम : आपको पता चलेगा कि सांची में . . .

श्री सभापति : आपने अच्छा किया कि उनकी तवज्जह इधर रजू कर दी । अब उनको मालूम हो गया कि उसमें और बहुत सी चीजों को प्रोटेक्शन देना चाहिए ।

श्री लाडली मोहन निगम : आप इसकी जांच करायेंगी ?

श्रीमती शीला कौल : जिसका आपने जिक्र किया है, इसकी जानकारी लेकर आपको बताऊंगी ।

भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों में तैनात राजदूत और अधिकारी

*382. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में तैनात राजदूतों और उच्चायुक्तों की संख्या कितनी है और उसमें हरिजनों, आदिवासियों, महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) भारतीय दूतावासों एवं उच्चायोगों में काम कर रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उसमें उक्त चार वर्गों के लोगों की संख्या और उसका प्रतिशत क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1-9-81 तक की स्थिति के अनुसार 95 राजदूत/हाई कमिश्नर विदेशों में काम कर रहे थे । इनमें से 4 अनुसूचित जाति के, 4 अनुसूचित जनजाति के और दो महिलायें हैं ।

(ख) इसका विवरण विदेश स्थित अपने मिशनों से एकत्र किया जा रहा है और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैंने सरकार से जो प्रश्न किया था, सब से पहले इस पर ही मुझे तकलीफ है और इस पर सदन को भी तकलीफ है । सरकार को भी सोचना चाहिए कि प्रश्न के खण्ड 2 का उत्तर ही नहीं आया और सदन के पटल पर आयेगा तो भी हम पूछ सकेंगे क्यों कि असली प्रश्न वही था । खंड 2 में था कि विदेशों में भारतीय दूतावासों के जो कार्यालय हैं उनमें जितने सरकारी कर्मचारी है, उनमें हरिजन आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं की संख्या कितनी है . . . **(व्यवधान)**